बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

मंगलवार, तिथि १७ सितम्बर १९६३।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि १७ सितम्बर, १९६३ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

Short-Notice Questions and Answers.

NEGLIGENCE IN RECEPTION OF SHRI NAGESHWAR PRASAD SINGH.

2. Shri RAMSEWAK THAKUR : Will the Chief Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that Shree Nageshwar Prasad Singh, Minister of Nepal Government, visited Darbhanga on the 6th August, 1963 ;

(2) if the answer to clause (1) be in the affirmative, whether it is a fact that no arrangement for his proper reception and security was made at Darbhanga Station and at his place of stay; if so, what steps Government propose to take against the person or persons responsible for such negligence?

(२) किन व्यक्तियों को किस कारणवश आपूर्त्ति नहीं की गयी तथा उनके जमा की रकम अलग-अलग क्या है ;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उन व्यक्तियों को बकाये जमा की रकम वापस करने का विचार करती है ; यदि हां, तो कबतक?

श्री वीरचन्द पटेल—(१) एवं (२) मामला बहुत पुराना है और इस समय के संबंधित जनसेवक इत्यादि सभी स्थानान्तरित हो गये हैं और प्रखंड में इस विषय के कागजात बहुत खोजवाने पर भी नहीं मिल रहे हैं। परन्तु यह पता चलता है कि कुल २४६ रुपया अंचल में जमा किया गया जो कि एक ही ट्रेजरी में जमा किया गया था। जीरा की उपलब्धि के अनुसार २७,००० जीरों की आपूर्त्ति की गयी। जिसमें निम्नांकित व्यक्तियों को जीरा नहीं मिल सका जिन्हें उचित प्रमाणक प्राप्त कर लौटा दिए गए:—

	रुपया।
(१) श्री वैद्यनाथ झा, सा० बेनीपट्टी सारिसब	४२
(२) श्री विश्वंभर झा, ग्रा० अरेर	६
(३) श्री झंगरू झा, बेनीपट्टी सारिसब	४
(४) श्री हरिश्चन्द्र झा, बेनीपट्टी	४
(५) श्री देवचन्द्र झा	४
(६) श्री अमीरी लाल	२
(७) श्री दुर्गाकान्त झा	६
(८) श्री जाकिर हुसेन, मुसौहील	१६

उपरोक्त व्यक्तियों को क्यों जीरा की आपूर्त्ति नहीं की जा सकी इसका पता नहीं लग रहा है।

(३) उपर्युक्त स्थिति में यह प्रश्न ही नहीं उठता।

मार्केटिंग निरीक्षक की पदोन्नति।

१८५२। श्री मोती राम—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सन् १९५६—१९५८ और १९५९ ई० में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्सपेक्टर और सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर के पद पर सबॉडिनेट इन्सपेक्टर, माप एवं तौल का प्रमोशन कंफिडेन्सियल करेक्टर रौल के आधार पर हुआ था ;

(२) क्या यह बात सही है कि सन् १९५९ ई० में विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण श्री ललित लाल दास एवं श्री महेश्वरी प्रसाद वर्मा (२) का प्रमोशन उपर्युक्त पद पर हुआ था ;

(३) क्या यह बात सही है कि सन् १९६२ ई० में सिर्फ विभागीय परीक्षोत्तीर्ण व्यक्तियों को ही उपर्युक्त पदों पर नियुक्त किया गया है जबकि दोनों बार बोर्ड के चेयरमैन कृषि विभाग के निदेशक ही थे ;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो—

(क) क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९६२ ई० में नियुक्ति का आधार पहले से भिन्न क्यों हुआ ;

(ख) क्या सरकार पहले जैसे प्रमोशन देने का विचार रखती है ; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीरचन्द पटेल—(१) यह सही है कि उक्त वर्षों में अवर-प्रमंडलीय माप एवं तौल निरीक्षकों की पदोन्नति चरित्र पुस्तियों के आधार पर जिला कृषि पणन निरीक्षक के पदों पर हुई थी।

(२) प्रोन्नति के समय श्री लाल विभागीय परीक्षा में पूर्णतया उत्तीर्ण थे परन्तु श्री वर्मा लेखा परीक्षा में उत्तीर्ण थे तथा उन्हें एक विषय में पास होना बाकी था।

(३) विभागीय नियमानुसार प्रोन्नति के लिए दो कसौटियां हैं, (क) विभागीय परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण होना तथा (ख) संतोषप्रद सेवा। अतः १९६२ में जिला कृषि पणन निरीक्षकों के पद पर केवल उन्हीं की प्रोन्नति हुई जो उपर्युक्त कसौटियों के अनुसार उपर्युक्त पाये गये। यह बात सही है कि १९५९ ई० तथा १९६२ ई० में चनाव बोर्ड के चेयरमैन कृषि निदेशक, बिहार ही थे।

(४) पहले, १५०—३५० रु० के वेतनमान में प्रोन्नति के लिए इस शाखा के अतिरिक्त अन्य शाखाओं में भी विभागीय परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे। इसलिए विभागीय परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण होने की शर्त में ढिलाई कर कुछ प्रोन्नति दी गयी। परन्तु यह पाया गया कि कर्मचारीगण विभागीय परीक्षा पास करने में ढिलाई करने लगे। फलस्वरूप उनके कार्य में अदक्षता नजर आने लगी। इसलिए विभागीय परीक्षा पास करने के नियम को अनिवार्य रूप से लागू कर ही प्रोन्नति के मामलों में निर्णय किया गया। उपर्युक्त कारणों से सरकार प्रोन्नति के मामलों में विभागीय परीक्षा पास होने की शर्त में ढिलाई कर प्रोन्नति देने के पक्ष में नहीं है।

खेती के औजार का विवरण।

१८५३। श्री जगदम्बी प्रसाद यादव—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) मुंगेर सदर प्रखंड में कितने सुधरे हुए खेती के औजार मौजूद हैं, कितने सन् १९६२ साल में बेचे गये और कौन-कौन औजार थे ;

(२) क्या यह बात सही है कि इस समय उक्त विकास प्रखंड में सुधरे हुए खेती के औजार नहीं हैं ; यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र इसकी व्यवस्था करने का विचार करती है ?